

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 23/4/2019

क्रमांक एफ. 15-13/2018/सात/शाखा-7. मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 108 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31.12.2018 अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्रामों एवं उनके वर्णित नवीन राजस्व ग्रामों (मजरा) के लिए उसके कॉलम (3) में वर्णित अधिकारी द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जायें :-

## अनुसूची

## जिला-देवास


अनुक्रमांक	ग्राम का नाम एवं पटवारी इल्का क्रमांक	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(4)
तहसील-देवास		
1.	1. मूल ग्राम-भैसूनी प.ह.नं.-10 2. नवीन ग्राम-विजयगंज मंडी	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित)
तहसील-हाटपीपल्या		
2.	1. मूल ग्राम-मानकुण्ड प.ह.नं.-07 2. नवीन ग्राम-धानीघाटी	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित)
3.	1. मूल ग्राम-महूखेडा प.ह.नं.-35 2. नवीन ग्राम-लालाखेडी	
4.	1. मूलग्राम-पालखा प.ह.नं.-28 2. नवीन ग्राम-लक्ष्मीपुरा	
5.	1. मूलग्राम-ग्यारसपुरा प.ह.नं.-27 2. नवीन ग्राम-नया ग्यारसपुरा	
तहसील-बागली		
6.	1. मूलग्राम-मुकुन्दगढ प.ह.नं.-27 2. नवीन ग्राम-अम्बाझर	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित)
7.	1. मूलग्राम-धावडिया प.ह.नं.-29 2. नवीन ग्राम-खेडा	
8.	1. मूलग्राम-करनावद प.ह.नं.-03 2. नवीन ग्राम-हीरापुर 3. नवीन ग्राम-होरियाखो 4. नवीन ग्राम-विश्राम	
तहसील-उदयनगर		
9.	1. मूलग्राम-आगराखुर्द प.ह.नं.-53 2. नवीन ग्राम-झुलादड	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित)
तहसील-कन्नौद		
10.	1. मूलग्राम-बाबडीखेडा प.ह.नं.-06 2. नवीन ग्राम-सेतीखेडा	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित)
11.	1. मूलग्राम-अम्वाडा प.ह.नं.-32 2. नवीन ग्राम-दावतपुरा	

NOTIFICATION

Handwritten signature  
21/4/19

तहसील-सतवास		
12.	1. मूलग्राम-गर्डीझाबरिया प.ह.नं.-32 2. नवीन ग्राम-गर्डी	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित)
13.	1. मूलग्राम-बडकनखारी प.ह.नं.-39 2. नवीन ग्राम-खारी	
14.	1. मूलग्राम-निमासा प.ह.नं.-38 2. नवीन ग्राम-इन्द्रापुरी	


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(मुजीबुर्रहमान खान) 3/4  
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

भोपाल दिनांक 23/04/20

कमांक एफ. 15-13/2018/सात/शा.7- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसार  
में, इस विभाग की संशोधित अधिसूचना कमांक एफ. 15-06/2018/सात/शा.6 दिनांक .....  
2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

  
उप सचिव 3/4/19  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग